

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 12(15) राज/वाद/08,पार्ट

जयपुर दिनांक 30-01-14

:: आदेश ::

दी राजस्थान लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेंट मैनुअल 1999 के नियम 14 के अनुसरण में राज्यपाल महोदया की आज्ञा से राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु श्री मनु भार्गव, अभिभाषक को गवर्नमेंट काउन्सिल, जयपुर के पद पर मासिक रिटेनरशिप राशि रु. 17,500/- प्रतिमाह (निश्चित) पर कार्यभार संभालने की तिथि से अग्रिम आदेश तक के लिए निम्नांकित सेवा शर्तों पर नियुक्त किया जाता है:-

शर्तें:-

1. वे किसी निजी पक्षकार अथवा अर्द्धसरकारी निकायों या निगमों का जिनमें राजकीय हितों का उनसे विरोध हो, ऐसा नामला (ब्रीफ) स्वीकार करने के अधिकारी नहीं होंगे।
2. वे उच्च न्यायालय में उनके द्वारा किये गये किसी सरकारी कार्य के लिए जिनमें राय देने का कार्य भी सम्मिलित है, कोई अतिरिक्त फीस प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे।
3. वे महाधिवक्ता/अति० महाधिवक्तागण, जयपुर के निर्देशों एवं देखरेख में कार्य सम्पादन करेंगे। साथ ही यह नियुक्ति राजकीय अधिवक्तागण के संदर्भ में प्रचलित आदेशों में वर्णित सुसंगत शर्तों के अनुसार भी शासित होगी।
4. वे उच्च न्यायालय के समक्ष उन्हें सौंपे गये सभी दीवानी मामले/याचिकाएँ व विधि मामलों की पैरवी करेंगे।
5. उक्त गवर्नमेंट काउन्सिल को अन्य एलाउन्स/चार्जेज/सुविधाएँ वही देय होगी जो वर्तमान में गवर्नमेंट काउन्सिल को दी जा रही है।

आज्ञा से,

६०

(प्रकाश गुप्ता)

प्रमुख शासन सचिव, विधि



प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीया मुख्यमंत्री।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री / विशेषाधिकारी (वाई) माननीया मुख्यमंत्री।

निरन्तर.....

File
M.M.
15/1/14

3. निजी सहायक, माननीय मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, विधि।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
5. समस्त जिला कलक्टर/विभागाध्यक्ष।
6. महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच जयपुर/समस्त अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
7. राजकीय अधिवक्ता/प्रशासक वादकरण, जयपुर/जोधपुर।
8. अतिरिक्त महाधिवक्ता/समस्त एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
9. संबंधित अधिवक्ता।
10. अधीक्षक, राज्य केंद्रीय मुद्रणालय, राजस्थान जयपुर को राज० राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
11. निदेशक, जनसम्पर्क विभाग, जयपुर।
12. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
13. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/रजिस्ट्रार प्रशासन, राज० उच्च न्यायालय, बैंच जयपुर।
14. निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
15. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
16. लेखा शाखा, विधि (वादकरण) विभाग।
17. विधि विभाग के समस्त प्रकोष्ठ/समस्त उप विधि परामर्शीगण, विधि विभाग।
18. कोषाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
19. रक्षित पत्रावली।



30.1.14
(गोवर्धन बाढदार)
शासन सचिव, विधि

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 12(15) राज/वाद/08,पार्ट

जयपुर दिनांक 30-01-14

:: आदेश ::


दी राजस्थान लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेंट मैनुअल 1999 के नियम 14 के अनुसरण में राज्यपाल महोदया की आज्ञा से राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु निम्नांकित अभिभाषकों को एडिशनल गवर्नमेंट काउन्सिल/डिप्टी गवर्नमेंट काउन्सिल, जयपुर के पद पर उनके नाम के सम्मुख वर्णित रिटर्नरशिप फीस पर कार्यभार संभालने की तिथि से अग्रिम आदेश तक के लिए निम्नांकित सेवा शर्तों पर नियुक्त किया जाता है:-

क्र०सं०	नाम	पद नाम	मासिक रिटर्नरशिप (निश्चित)
1	श्री नीरज कुमार भट्ट	एडिशनल गवर्नमेंट काउन्सिल	14,000 /-
2	श्रीमती मंजू जोशी	एडिशनल गवर्नमेंट काउन्सिल	14,000 /-
3	श्री बृजकिशोर शर्मा	एडिशनल गवर्नमेंट काउन्सिल	14,000 /-
4	श्री राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल	एडिशनल गवर्नमेंट काउन्सिल	14,000 /-
5	श्री आशीष जैन	एडिशनल गवर्नमेंट काउन्सिल	14,000 /-
6	श्री बाबूलाल सैनी	डिप्टी गवर्नमेंट काउन्सिल	12,600 /-
7	श्री हनुमान प्रसाद बैरवा	डिप्टी गवर्नमेंट काउन्सिल	12,600 /-
8	श्री दीनदयाल शर्मा	डिप्टी गवर्नमेंट काउन्सिल	12,500 /-
9	श्री नाथूसिंह चौहान	डिप्टी गवर्नमेंट काउन्सिल	12,600 /-
10	श्रीमती वन्दना शर्मा	डिप्टी गवर्नमेंट काउन्सिल	12,600 /-
11	श्री रवि चिरानिया	डिप्टी गवर्नमेंट काउन्सिल	12,600 /-
12	श्री परीक्षित सिंह	डिप्टी गवर्नमेंट काउन्सिल	12,600 /-

शर्तें:-

- वे किसी निजी पक्षकार अथवा अर्द्धसरकारी निकायों या निगमों का जिनमें राजकीय हितों का उनसे विरोध हो, ऐसा मामला (ब्रीफ) स्वीकार करने के अधिकारी नहीं होंगे।
- वे उच्च न्यायालय में उनके द्वारा किये गये किसी सरकारी कार्य के लिए जिनमें राय देने का कार्य भी सम्मिलित है, कोई अतिरिक्त फीस प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे।
- वे महाधिवक्ता/अति० महाधिवक्तागण, जयपुर के निर्देशों एवं देखरेख में कार्य सम्पादन करेंगे। साथ ही यह नियुक्ति राजकीय अधिवक्तागण के संदर्भ में प्रचलित आदेशों में वर्णित सुसंगत शर्तों के अनुसार भी शासित होगी।
- वे उच्च न्यायालय के समक्ष उन्हें सौंपे गये सभी दीवानी मामले/याचिकाएँ व विधि मामलों की पैरवी करेंगे।

निरन्तर.....



File
218
2-2-14
12/12

5. उक्त एडिशनल गवर्नमेंट काउन्सिल/डिप्टी गवर्नमेंट काउन्सिल को अन्य एलाउन्स/चार्जेज/सुविधाएँ वही देय होगी जो वर्तमान में एडिशनल गवर्नमेंट काउन्सिल/डिप्टी गवर्नमेंट काउन्सिल को दी जा रही है।

आज्ञा से,

ह०

(प्रकाश गुप्ता)

प्रमुख शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीया मुख्यमंत्री।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री/विशेषाधिकारी (वाई) माननीया मुख्यमंत्री।
3. निजी सहायक, माननीय मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, विधि।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
5. समस्त जिला कलक्टर/विभागाध्यक्ष।
6. महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच जयपुर/समस्त अति० महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
7. राजकीय अधिवक्ता/प्रशाराक वादकरण, जयपुर/जोधपुर।
8. अतिरिक्त महाधिवक्ता/समस्त एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
9. संबंधित अधिवक्ता।
10. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय भुज्जणालय, राजस्थान जयपुर को राज० राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
11. निदेशक, जनसम्पर्क विभाग, जयपुर।
12. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
13. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/रजिस्ट्रार प्रशासन, राज० उच्च न्यायालय, बैंच जयपुर।
14. निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
15. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
16. लेखा शाखा, विधि (वादकरण) विभाग।
17. विधि विभाग के समस्त प्रकोष्ठ/समस्त उप विधि परामर्शीगण, विधि विभाग।
18. कोषाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
19. रक्षित पत्रावली।



(गोवर्धन बाढदार)

शासन सचिव, विधि

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 12(15) राज/वाद/08,पार्ट

जयपुर दिनांक 30-01-14

:: आदेश ::

दी राजस्थान लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेंट मैनुअल 1999 के नियम 14 के अनुसरण में राज्यपाल महोदया की आज्ञा से राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु निम्नांकित अभिभाषकों को असिस्टेंट गवर्नमेंट काउन्सिल, जयपुर के पद पर उनके नाम के सम्मुख वर्णित रिटेनरशिप फीस पर कार्यभार संभालने की तिथि से अग्रिम आदेश तक के लिए निम्नांकित सेवा शर्तों पर नियुक्त किया जाता है:-

क्र०सं०	नाम	पद नाम	मासिक रिटेनरशिप (निश्चित)
1	श्रीमती मंजू दवे	असि० गवर्नमेंट काउन्सिल	10,000/-
2	श्री तपेश उग्रवाल	असि० गवर्नमेंट काउन्सिल	10,000/-
3	श्री विनय पाण्डे	असि० गवर्नमेंट काउन्सिल	10,000/-

शर्तें:-

- वे किसी निजी पक्षकार अथवा अर्द्धसरकारी निकायों या निगमों का जिनमें राजकीय हितों का उनसे विरोध हो, ऐसा मामला (ट्रीफ) स्वीकार करने के अधिकारी नहीं होंगे।
- वे उच्च न्यायालय में उनके द्वारा किये गये किसी सरकारी कार्य के लिए जिनमें राय देने का कार्य भी सम्मिलित है, कोई अतिरिक्त फीस प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे।
- वे महाधिवक्ता/अति० महाधिवक्तागण, जयपुर अथवा संबंधित गवर्नमेंट काउन्सिल, जयपुर के निर्देशों एवं देखरेख में कार्य सम्पादन करेंगे। साथ ही यह नियुक्ति राजकीय अधिवक्तागण के संदर्भ में प्रचलित आदेशों में वर्णित सुसंगत शर्तों के अनुसार भी शासित होगी।

वे उच्च न्यायालय के समक्ष उन्हें सांपे गये सभी दीवानी मामले/याचिकाएँ व विधि मामलों की पैरवी करेंगे।

आज्ञा से,

ह०


(प्रकाश गुप्ता)

प्रमुख शासन सचिव, विधि


प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- प्रमुख सचिव, माननीया मुख्यमंत्री।
- विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री/विशेषाधिकारी (वाई) माननीया मुख्यमंत्री।

निरन्तर.....



3. निजी सहायक, माननीय मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, विधि।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
5. समस्त जिला कलक्टर/विभागाध्यक्ष।
6. महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच जयपुर/समस्त अति० महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
7. राजकीय अधिवक्ता/प्रशासक वादकरण, जयपुर/जोधपुर।
8. अतिरिक्त महाधिवक्ता/समस्त एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
9. संबंधित अधिवक्ता।
10. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, राजस्थान जयपुर को राज० राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
11. निदेशक, जनसम्पर्क विभाग, जयपुर।
12. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
13. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/रजिस्ट्रार प्रशासन, राज० उच्च न्यायालय, बैंच जयपुर।
14. निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
15. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
16. लेखा शाखा, विधि (वादकरण) विभाग।
17. विधि विभाग के समस्त प्रकोष्ठ/समस्त उप विधि परामर्शीगण, विधि विभाग।
18. कोषाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
19. रक्षित पत्रावली।


 30.1.14
 (गोवर्धन बाढदार)
 शासन सचिव, विधि

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 12(15) राज/वाद/08,पार्ट

जयपुर दिनांक 4/2/14

:: आदेश ::

दी राजस्थान लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेंट मैनुअल 1999 के नियम 14 के अनुसरण में राज्यपाल महोदया की आज्ञा से राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु श्री संजय कुमार शर्मा, अभिभाषक (पंजीयन क्रमांक आर/843/1996) को गवर्नमेंट काउन्सिल, जयपुर के पद पर मासिक रिटेनरशिप राशि रु. 17,500/- प्रतिमाह (निश्चित) पर कार्यभार संभालने की तिथि से अग्रिम आदेश तक के लिए निम्नांकित सेवा शर्तों पर नियुक्त किया जाता है:-

शर्तें:-

1. वे किसी निजी पक्षकार अथवा अर्द्धसरकारी निकायों या निगमों का जिनमें राजकीय हितों का उनसे विरोध हो, ऐसा मामला (ट्रीफ) स्वीकार करने के अधिकारी नहीं होंगे।
2. वे उच्च न्यायालय में उनके द्वारा किये गये किसी सरकारी कार्य के लिए जिनमें राय देने का कार्य भी सम्मिलित है, कोई अतिरिक्त फीस प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे।
3. वे महाधिवक्ता/अति० महाधिवक्तागण, जयपुर के निर्देशों एवं देखरेख में कार्य सम्पादन करेंगे। साथ ही यह नियुक्ति राजकीय अधिवक्तागण के संदर्भ में प्रचलित आदेशों में वर्णित सुसंगत शर्तों के अनुसार भी शासित होगी।
4. वे उच्च न्यायालय के समक्ष उन्हें सौंपे गये सभी दीवानी मामले/याचिकाएँ व विधि मामलों की पैरवी करेंगे।
5. उक्त गवर्नमेंट काउन्सिल को अन्य एलाउन्स/चार्जेज/सुविधाएँ वही देय होगी जो वर्तमान में गवर्नमेंट काउन्सिल को दी जा रही है।

आज्ञा से,

ह०


(प्रकाश गुप्ता)

प्रमुख शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीया मुख्यमंत्री।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री/विशेषाधिकारी () माननीया मुख्यमंत्री।
निरन्तर.....

3. निजी सहायक, माननीय मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, विधि।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
5. समस्त जिला कलक्टर/विभागाध्यक्ष।
6. महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच जयपुर/समस्त अति0 महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
7. राजकीय अधिवक्ता/प्रशासक वादकरण, जयपुर/जोधपुर।
8. अतिरिक्त महाधिवक्ता/समस्त एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
9. संबंधित अधिवक्ता।
10. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, राजस्थान जयपुर को राज0 राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
11. निदेशक, जनसम्पर्क विभाग, जयपुर।
12. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
13. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/रजिस्ट्रार प्रशासन, राज0 उच्च न्यायालय, बैंच जयपुर।
14. निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
15. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
16. लेखा शाखा, विधि (वादकरण) विभाग।
17. विधि विभाग के समस्त प्रवोष्ठ/समस्त उप विधि परामर्शीगण, विधि विभाग।
18. कोषाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
19. रक्षित पत्रावली।



(गोवर्धन बाढदार)
शासन सचिव, विधि

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 12(15) राज/वाद/08,पार्ट

जयपुर दिनांक 4-2-2014

:: आदेश ::

दी राजस्थान लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेंट मैनुअल 1999 के नियम 14 के अनुसरण में राज्यपाल महोदया की आज्ञा से राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु निम्नांकित अभिभाषकों को एडिशनल गवर्नमेंट काउन्सिल/डिप्टी गवर्नमेंट काउन्सिल, जयपुर के पद पर उनके नाम के सम्मुख वर्णित रिटेनरशिप फीस पर कार्यभार संभालने की तिथि से अग्रिम आदेश तक के लिए निम्नांकित सेवा शर्तों पर नियुक्त किया जाता है:-

क्र०सं०	नाम	पद नाम	मासिक रिटेनरशिप (निश्चित)
1	श्री धर्मेन्द्र पारीक	एडिशनल गवर्नमेंट काउन्सिल	14,000/-
2	श्री बनवारीलाल अवस्थी	एडिशनल गवर्नमेंट काउन्सिल	14,000/-
3	डॉ० अर्जुन सिंह खंगारोत	एडिशनल गवर्नमेंट काउन्सिल	14,000/-
4	श्री सुनील कुमार यादव	एडिशनल गवर्नमेंट काउन्सिल	14,000/-
5	श्री धीरज त्रिपाठी	डिप्टी गवर्नमेंट काउन्सिल	12,600/-
6	श्री सौरभ सारस्वत	डिप्टी गवर्नमेंट काउन्सिल	12,600/-
7	श्री अर्पित श्रीवास्तव	डिप्टी गवर्नमेंट काउन्सिल	12,600/-
8	श्री संजीव कुमार सिंघल	डिप्टी गवर्नमेंट काउन्सिल	12,600/-

शर्तें:-

- वे किसी निजी पक्षकार अथवा अर्द्धसरकारी निकायों या निगमों का जिनमें राजकीय हितों का उनसे विरोध हो, ऐसा मामला (ब्रीफ) स्वीकार करने के अधिकारी नहीं होंगे।
- वे उच्च न्यायालय में उनके द्वारा किये गये किसी सरकारी कार्य के लिए जिनमें राय देने का कार्य भी सम्मिलित है, कोई अतिरिक्त फीस प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे।
- वे महाधिवक्ता/अति० महाधिवक्तागण, जयपुर के निर्देशों एवं देखरेख में कार्य सम्पादन करेंगे। साथ ही यह नियुक्ति राजकीय अधिवक्तागण के संदर्भ में प्रचलित आदेशों में वर्णित सुसंगत शर्तों के अनुसार भी शासित होगी।
- वे उच्च न्यायालय के समक्ष उन्हें सौंपे गये सभी दीवानी मामले/याचिकाएँ व विधि मामलों की पैरवी करेंगे।

निरन्तर.....


5. उक्त एडिशनल गवर्नमेंट काउन्सिल/डिप्टी गवर्नमेंट काउन्सिल को अन्य एलाउन्स/चार्जेज/सुविधाएँ वही देय होगी जो वर्तमान में एडिशनल गवर्नमेंट काउन्सिल/डिप्टी गवर्नमेंट काउन्सिल को दी जा रही है।

आज्ञा से,

६०
(प्रकाश गुप्ता)
प्रमुख शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीया मुख्यमंत्री।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री/विशेषाधिकारी (माननीया मुख्यमंत्री।
3. निजी सहायक, माननीय मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, विधि।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
5. समस्त जिला कलक्टर/विभागाध्यक्ष।
6. महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच जयपुर/समस्त अति० महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
7. राजकीय अधिवक्ता/प्रशासक वादकरण, जयपुर/जोधपुर।
8. अतिरिक्त महाधिवक्ता/समस्त एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
9. संबंधित अधिवक्ता।
10. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, राजस्थान जयपुर को राज० राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
11. निदेशक, जनसम्पर्क विभाग, जयपुर।
12. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
13. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/रजिस्ट्रार प्रशासन, राज० उच्च न्यायालय, बैंच जयपुर।
14. निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
15. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
16. लेखा शाखा, विधि (वादकरण) विभाग।
17. विधि विभाग के समस्त प्रकोष्ठ/समस्त उप विधि परामर्शीगण, विधि विभाग।
18. कोषाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
19. रक्षित पत्रावली।


०५.०२.१७

(गोवर्धन बाढदार)
शासन सचिव, विधि

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 12(15) राज/वाद/08,पार्ट

जयपुर दिनांक 07-02-14

:: आदेश ::

दी राजस्थान लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेंट मैनुअल 1999 के नियम 14 के अनुसरण में राज्यपाल महोदया की आज्ञा से राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु निम्नांकित अभिभाषकों को एडिशनल गवर्नमेंट काउन्सिल/डिप्टी गवर्नमेंट काउन्सिल, जयपुर के पद पर उनके नाम के सम्मुख वर्णित रिटेनरशिप फीस पर कार्यभार संभालने की तिथि से अग्रिम आदेश तक के लिए निम्नांकित सेवा शर्तों पर नियुक्त किया जाता है:-

क्र०सं०	नाम	पद नाम	मासिक रिटेनरशिप (निश्चित)
1	श्री नीरज चन्दराना	एडिशनल गवर्नमेंट काउन्सिल	14,000/-
2	श्री वी०डी० गटाला	एडिशनल गवर्नमेंट काउन्सिल	14,000/-
3	श्री ऋषिपाल अग्रवाल	एडिशनल गवर्नमेंट काउन्सिल	14,000/-
4	श्री भुवनेश शर्मा	डिप्टी गवर्नमेंट काउन्सिल	12,600/-
5	श्री शिवराज सिंह	डिप्टी गवर्नमेंट काउन्सिल	12,600/-
6	श्री पदम सिंह गुर्जर	डिप्टी गवर्नमेंट काउन्सिल	12,600/-

शर्तें:-

- वे किसी निजी पक्षकार अथवा अर्द्धसरकारी निकायों या निगमों का जिनमें राजकीय हितों का उनसे विरोध हो, ऐसा मामला (ब्रीफ) स्वीकार करने के अधिकारी नहीं होंगे।
- वे उच्च न्यायालय में उनके द्वारा किये गये किसी सरकारी कार्य के लिए जिनमें राय देने का कार्य भी सम्मिलित है, कोई अतिरिक्त फीस प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे।
- वे महाधिवक्ता/अति० महाधिवक्तागण, जयपुर के निर्देशों एवं देखरेख में कार्य सम्पादन करेंगे। साथ ही यह नियुक्ति राजकीय अधिवक्तागण के संदर्भ में प्रचलित आदेशों में वर्णित सुसंगत शर्तों के अनुसार भी शासित होगी।
- वे उच्च न्यायालय के समक्ष उन्हें सौंपे गये सभी दीवानी मामले/याचिकाएँ व विधि मामलों की पैरवी करेंगे।

निरन्तर.....

5. उक्त एडिशनल गवर्नमेंट काउन्सिल/डिप्टी गवर्नमेंट काउन्सिल को अन्य एलाउन्स/चार्जेज/सुविधाएँ वही देय होगी जो वर्तमान में एडिशनल गवर्नमेंट काउन्सिल/डिप्टी गवर्नमेंट काउन्सिल को दी जा रही है।

आज्ञा से,


ह०

(प्रकाश गुप्ता)

प्रमुख शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीया मुख्यमंत्री।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री/विशेषाधिकारी (एस) माननीया मुख्यमंत्री।
3. निजी सहायक, माननीय मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, विधि।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
5. समस्त जिला कलक्टर/विभागाध्यक्ष।
6. महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच जयपुर/समस्त अति० महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
7. राजकीय अधिवक्ता/प्रशासक वादकरण, जयपुर/जोधपुर।
8. अतिरिक्त महाधिवक्ता/समस्त एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
9. संबंधित अधिवक्ता।
10. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, राजस्थान जयपुर को राज० राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
11. निदेशक, जनसम्पर्क विभाग, जयपुर।
12. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
13. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/रजिस्ट्रार प्रशासन, राज० उच्च न्यायालय, बैंच जयपुर।
14. निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
15. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
16. लेखा शाखा, विधि (वादकरण) विभाग।
17. विधि विभाग के समस्त प्रकोष्ठ/समस्त उप विधि परामर्शीगण, विधि विभाग।
18. कोषाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
19. रक्षित पत्रावली।



(गोवर्धन बाढदार)

शासन सचिव, विधि

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 12(15) राज/वाद/08,पार्ट

जयपुर दिनांक 4-2-2014

:: आदेश ::

दी राजस्थान लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेंट मैनुअल 1999 के नियम 14 के अनुसरण में राज्यपाल महोदया की आज्ञा से राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु निम्नांकित अभिभाषकों को असिस्टेंट गवर्नमेंट काउन्सिल, जयपुर के पद पर उनके नाम के सम्मुख वर्णित रिटेनरशिप फीस पर कार्यभार संभालने की तिथि से अग्रिम आदेश तक के लिए निम्नांकित सेवा शर्तों पर नियुक्त किया जाता है:-

क्र०सं०	नाम	पद नाम	मासिक रिटेनरशिप (निश्चित)
1	श्री हरीश सी. कंडपाल	असि० गवर्नमेंट काउन्सिल	10,000/-
2	श्री अनिल कुमार चौहान	असि० गवर्नमेंट काउन्सिल	10,000/-
3	श्रीमती आशीष जोशी	असि० गवर्नमेंट काउन्सिल	10,000/-

शर्तें:-

- वे किसी निजी पक्षकार अथवा अर्द्धसरकारी निकायों या निगमों का जिनमें राजकीय हितों का उनसे विरोध हो, ऐसा मामला (ब्रीफ) स्वीकार करने के अधिकारी नहीं होंगे।
- वे उच्च न्यायालय में उनके द्वारा किये गये किसी सरकारी कार्य के लिए जिनमें राय देने का कार्य भी सम्मिलित है, कोई अतिरिक्त फीस प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे।
- वे महाधिवक्ता/अति० महाधिवक्तागण, जयपुर अथवा संबंधित गवर्नमेंट काउन्सिल, जयपुर के निर्देशों एवं देखरेख में कार्य सम्पादन करेंगे। साथ ही यह नियुक्ति राजकीय अधिवक्तागण के संदर्भ में प्रचलित आदेशों में वर्णित सुसंगत शर्तों के अनुसार भी शासित होगी।
- वे उच्च न्यायालय के समक्ष उन्हें सौंपे गये सभी दीवानी मामले/याचिकाएँ व विधि मामलों की पैरवी करेंगे।

आज्ञा से,


ह०
(प्रकाश गुप्ता)
प्रमुख शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- प्रमुख सचिव, माननीया मुख्यमंत्री।
- विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री/विशेषाधिकारी () माननीया मुख्यमंत्री।

निरन्तर.....

3. निजी सहायक, माननीय मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, विधि।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
5. समस्त जिला कलक्टर/विभागाध्यक्ष।
6. महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच जयपुर/समस्त अति० महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
7. राजकीय अधिवक्ता/प्रशासक वादकरण, जयपुर/जोधपुर।
8. अतिरिक्त महाधिवक्ता/समस्त एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
9. संबंधित अधिवक्ताः।
10. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, राजस्थान जयपुर को राज० राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
11. निदेशक, जनसम्पर्क विभाग, जयपुर।
12. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
13. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/रजिस्ट्रार प्रशासन, राज० उच्च न्यायालय, बैंच जयपुर।
14. निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
15. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
16. लेखा शाखा, विधि (वादकरण) विभाग।
17. विधि विभाग के समस्त प्रकोष्ठ/समस्त उप विधि परामर्शीगण, विधि विभाग।
18. कोषाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
19. रक्षित पत्रावली।


04.2.17
(गोवर्धन बाढदार)
शासन सचिव, विधि

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 12(15) राज/वाद/08,पार्ट

जयपुर दिनांक 7/2/14

:: आदेश ::

दी राजस्थान लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेंट मैनुअल 1999 के नियम 14 के अनुसरण में राज्यपाल महोदया की आज्ञा से राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु निम्नांकित अभिभाषकों को असिस्टेंट गवर्नमेंट काउन्सिल, जयपुर के पद पर उनके नाम के सम्मुख वर्णित रिटेनरशिप फीस पर कार्यभार संभालने की तिथि से अग्रिम आदेश तक के लिए निम्नांकित सेवा शर्तों पर नियुक्त किया जाता है:-

क्र०सं०	नाम	पद नाम	मासिक रिटेनरशिप (निश्चित)
1	श्री राकेश गौड़	असि० गवर्नमेंट काउन्सिल	10,000/-
2	श्री मो० शाहिद हसन	असि० गवर्नमेंट काउन्सिल	10,000/-

शर्तें:-

- वे किसी निजी पक्षकार अथवा अर्द्धसरकारी निकायों या निगमों का जिनमें राजकीय हितों का उनसे विरोध हो, ऐसा मामला (ब्रीफ) स्वीकार करने के अधिकारी नहीं होंगे।
- वे उच्च न्यायालय में उनके द्वारा किये गये किसी सरकारी कार्य के लिए जिनमें राय देने का कार्य भी सम्मिलित है, कोई अतिरिक्त फीस प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे।
- वे महाधिवक्ता/अति० महाधिवक्तागण, जयपुर अथवा संबंधित गवर्नमेंट काउन्सिल, जयपुर के निर्देशों एवं देखरेख में कार्य सम्पादन करेंगे। साथ ही यह नियुक्ति राजकीय अधिवक्तागण के संदर्भ में प्रचलित आदेशों में वर्णित सुसंगत शर्तों के अनुसार भी शासित होगी।
- वे उच्च न्यायालय के समक्ष उन्हें सौंपे गये सभी दीवानी मामले/याचिकाएँ व विधि मामलों की पैरवी करेंगे।

आज्ञा से,


—ह०
(प्रकाश गुप्ता)
प्रमुख शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- प्रमुख सचिव, माननीया मुख्यमंत्री।
- विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री/विशेषाधिकारी (एस) माननीया मुख्यमंत्री।

निरन्तर.....

3. निजी सहायक, माननीय मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, विधि।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
5. समस्त जिला कलक्टर/विभागाध्यक्ष।
6. महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच जयपुर/समस्त अति० महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
7. राजकीय अधिवक्ता/प्रशासक वादकरण, जयपुर/जोधपुर।
8. अतिरिक्त महाधिवक्ता/समस्त एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
9. संबंधित अधिवक्ता।
10. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, राजस्थान जयपुर को राज० राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
11. निदेशक, जनसम्पर्क विभाग, जयपुर।
12. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
13. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/रजिस्ट्रार प्रशासन, राज० उच्च न्यायालय, बैंच जयपुर।
14. निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
15. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
16. लेखा शाखा, विधि (वादकरण) विभाग।
17. विधि विभाग के समस्त प्रकोष्ठ/समस्त उप विधि परामर्शीगण, विधि विभाग।
18. कोषाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
19. रक्षित पत्रावली।



(गोवर्धन बाढदार)
शासन सचिव, विधि